



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education, Government of India)

वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन-456006 (म.प्र.)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan

Ministry of Education (मंत्रालय सरकारी)

Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN- 456006 (M.P.)

पत्र सं. 17-3/2019(प्र.वि.)/मसारावेविप्र/

दिनांक 06-10-2020

कार्यालय आदेश - १६

विषय :- वेद विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मानक दिशा निर्देश।

भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 05-10-2020 को विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में मानक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। जिसके अनुपालन में दिनांक 06-10-2020 को प्रतिष्ठान के सचिव कार्यालय में राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय के समस्त अध्यापकों की बैठक आयोजित की गई जिसमें प्रतिष्ठान परिसर में स्थित राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय तथा प्रतिष्ठान से संबंध समस्त वेदपाठशालाओं एवं गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों को खोलने के संबंध में चर्चा की गई तथा निर्देश जारी किए गए।

भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी मानक दिशा निर्देश में उल्लिखित बिन्दुओं, वेद विद्यालय, गुरुशिष्य इकाई, विद्यार्थी छात्रावास, आदर्श वेद विद्यालय एवं छात्रावास के लिए लागू रहेगा।

आदर्श वेद विद्यालय एवं छात्रावास एवं संबद्ध वेद विद्यालय, गुरुशिष्य इकाई द्वारा मानक दिशा निर्देश अनुपालन की पूर्ण समीक्षा करने के उपरान्त ही विद्यालय एवं छात्रावास खोलने के विषय में, छात्रों को विद्यालय में बुलाने के विषय में अलग से आदेश जारी होगा।

छात्रों के अभिभावकों से छात्रों को विद्यालय भेजने की अनुमति तथा वेदपाठशाला / इकाई द्वारा भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी मानक दिशानिर्देशों का पूर्ण पालन करने का लिखित आश्वासन/ सहमति प्राप्त होने पर ही वेदपाठशाला / इकाई आरम्भ करने की अनुमति प्रदान करने पर विचार किया जा सकेगा।

समस्त वेदपाठशाला प्रबंधक / गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापक एवं प्रतिष्ठान परिसर स्थित राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय के गुरुओं/छात्रावास अधिष्ठाताओं को निर्देश है कि मानक दिशा निर्देश में उल्लिखित बिन्दुओं को सूक्ष्मता से अनुसन्धान कर लें जिससे भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश का पूरा पालन किया जाय।

मानक दिशा निर्देश में उल्लिखित बिन्दुओं में आवश्यक वस्तुओं एवं सुरक्षा उपायों हेतु श्री संजय श्रीवास्तव, सचिव जी के निजी सचिव, म.सा.रा.वे.वि.प्र., उज्जैन एवं परामर्शदाता (वित्त) म.सा.रा.वे.वि.प्र., उज्जैन से संपर्क करें।

(प्रा. विरुपाक्ष वि. जड़ीपाल) 6.10.2020
सचिव

प्रतिलिपि:-

1. सचिव जी के निजी सचिव, म.सा.रा.वे.वि.प्र., उज्जैन।
2. परामर्शदाता (वित्त) म.सा.रा.वे.वि.प्र., उज्जैन।
3. अनुभाग अधिकारी (प्र.), म.सा.रा.वे.वि.प्र., उज्जैन।
4. राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, उज्जैन के समस्त अध्यापकों / कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. समस्त वेद पाठशालाओं / गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों की जानकारी हेतु प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।
6. कार्यालय आदेश मिसिल।
7. सम्बन्धित नस्ती।